भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3314

7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गर्भावधि मधुमेह मेलिटस की घटना

†3314. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार हालिया नैदानिक अध्ययनों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों द्वारा संकेतित भारत में गर्भवती महिलाओं के बीच गर्भावधि मधुमेह मेलिटस (जीडीएम) के बढ़ते मामलों से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार रिपोर्ट किए गए जीडीएम के प्रसार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफ़एचएस) के निष्कर्षों और अस्पताल-आधारित नैदानिक अनुमानों के बीच उस महत्वपूर्ण अंतर का संज्ञान लिया है जो देश में जीडीएम के कम निदान की संभावना का संकेत देता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर जीडीएम की सार्वभौमिक जांच, शुरुआती निदान और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), आरएमएनसीएच ए रूपरेखा और अन्य मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत में गर्भावधि मधुमेह मेलिटस की व्यापकता पर किए गए आईसीएमआर-आईएनडीआईएबी राष्ट्रीय अध्ययन (आईसीएमआर- आईएनडीआईएबी -24) का विवरण निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12744553/

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर जीडीएम की सार्वभौमिक जांच, शीघ्र पहचान तथा प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल/कदम उठाए गए हैं:

- भारत सरकार ने वर्ष 2014 में गर्भवती महिलाओं में गर्भावधि मधुमेह मेलिटस (जीडीएम) के निदान एवं प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिन्हें वर्ष 2018 में संशोधित किया गया।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीडीएम की जांच हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा चिकित्सा अधिकारियों, स्टाफ नर्सों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ), सहायक नर्स मिडवाईफ (एएनएम) तथा मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) सहित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- सभी गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) पैकेज में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट (ओजीटीटी) के माध्यम से गर्भावधि मधुमेह मेलिटस (जीडीएम) की सार्वभौमिक जांच को शामिल किया गया है।
- गर्भावधि मधुमेह मेलिटस (जीडीएम) से चिन्हित गर्भवती महिलाओं का प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए/विस्तारित-पीएमएसएमए) के अंतर्गत प्रसव के 45वें दिन तक उनसे संपर्क बनाए रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती (एचआरपी) महिलाओं को तीन अतिरिक्त फॉलो-अप परामर्शों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- सहायक क्षेत्रीय दौरों तथा समय-समय पर आयोजित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से जीडीएम जांच के कार्यान्वयन एवं प्रगति की निगरानी की जाती है।
- गर्भावधि मधुमेह मेलिटस (जीडीएम) की सार्वभौमिक जांच को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियां संचालित की जाती हैं, ताकि जन-जागरूकता बढ़े तथा शीघ्र पहचान एवं समयबद्ध प्रबंधन को प्रोत्साहन मिल सके।
